रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 97] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 22, 1967/आषाढ़ 31, 1889

No. 97] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 22, 1967/ASADHA 31, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July 1967

No. 46/6/C-I/67.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin—Part II, dated the 21st July, 1967, is hereby published for general information:—

"No. 278.

Amendments to Directions by the Speaker under the Rules of Procedure of Lok Sabha

In pursuance of rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the Speaker has made the following amendments to the Directions:—

DIRECTION 44

In Direction 44,—

(i) after the word "and" and before the words "the amendment", the words "if thereupon" shall be inserted; and

(ii) the following proviso shall be added to the Direction, namely:—

"Provided that if any member requests the Chair to put the amendment or motion to the vote of the House, the amendment or motion shall be put to the vote of the House.".

S. L. SHAKDHER, Secy."

लोक-सभा

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1967

संख्या 46/6/सी-I/67.—निम्नलिखित पैरा, जो दिनांक 21 जुलाई, 1967 के लोक-सभा समाचार – भाग 2 में प्रकाशित हुआ था, एतद् द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"संख्या 278

लोक-सभा के प्रक्रिया संबंधी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गए निदेशों में संशोधन

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण में, अध्यक्ष महोदय ने इन निदेशों में निम्नलिखित संशोधन किये हैं :—

निदेश 44

निदेश 44 में,—

(एक) "और" शब्द के पश्चात् और "संशोधन" शब्द से पहले, 'यदि इसके पश्चात्' शब्द निविष्ट किए जाएंगे; और

(दो) इस निदेश के साथ निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यदि कोई सदस्य अध्यक्ष से निवेदन करे कि संशोधन अथवा प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखा जाए, तो संशोधन अथवा प्रस्ताव को सभा के मत दान के लिए रखा जाएगा।"

श्यामलाल शकधर,

सचिव।"

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967